



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14092020-221711
CG-DL-W-14092020-221711

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, सितम्बर 6—सितम्बर 12, 2020, शनिवार/ भाद्र 15—भाद्र 21, 1942
No. 33] NEW DELHI, SEPTEMBER 6—SEPTEMBER 12, 2020, SATURDAY/BHADRA 15—BHADRA 21, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 2020

का.आ. 750.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री नटराजन चन्द्रसेकरन (जन्म तिथि: 2.6.1963) को दिनांक 3.3.2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 1/1/2020—बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

New Delhi, the 20th June, 2020

S.O. 750.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby re-nominates Shri Natarajan Chandrasekaran (DOB: 2.6.1963) as part-time non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a further period of two years beyond 3.3.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 1/1/2020-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

का.आ. 751.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री राजकिरण राय जी. का कार्यकाल उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल, जो दिनांक 30.6.2020 को समाप्त होता है, से उनकी अधिवर्षिता की तारीख, अर्थात् 31.5.2022 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 4/4/2017-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 30th June, 2020

S.O. 751.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby extends the term of Shri Rajkiran Rai G., Managing Director and Chief Executive Officer, Union Bank of India for a period beyond his currently notified term which expires on 30.6.2020, till the date of his superannuation, i.e., 31.5.2022, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/4/2017-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

का.आ. 752.—निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री हर्ष कुमार भानवाला के स्थान पर श्री गोविंद राजुलू चिंताला, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को उनके नामांकन की अधिसूचना की तारीख से दिनांक 31.7.2022 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/13/2012-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 13th July, 2020

S.O. 752.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 6 read with clause (ii) of sub-section (2) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), Central Government hereby nominates Shri Govinda Rajulu Chintala, Chairman, National Bank for Agriculture and Rural Development as a Director on the Board of Directors of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for a period up to 31.7.2022, from the date of notification of his nomination or until further orders, whichever is earlier, *vice* Shri Harsh Kumar Bhanwala.

[F. No. 6/13/2012-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2020

का.आ. 753.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के उप-प्रबंध निदेशक श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता (जन्म तिथि 7.12.1962) को पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 31.12.2022) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इण्डियन ओवरसीज बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2020-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 23rd July, 2020

S.O. 753.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Partha Pratim Sengupta (date of birth: 7.12.1962), Deputy Managing Director, State Bank of India as Managing Director and Chief Executive Officer in Indian Overseas Bank with effect from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (*i.e.*, 31.12.2022), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2020-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

का.आ. 754.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के उपबंध केनरा बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री लिंगम वेंकट प्रभाकर को दिनांक 31.12.2022 तक की अवधि के लिए अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की आयु तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मैसर्स केन फिन होम्स लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित करने से है।

[फा. सं. 13/21/2017-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 27th July, 2020

S.O. 754.—In exercise of the powers conferred by Section 53(1) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), Government of India hereby declares that the provisions of sub-clauses (i) of clause (c) of subsection (1) of Section 10 of the said Act shall not apply to Canara Bank in so far as they relate to the nomination of Shri Lingam Venkata Prabhakar, Managing Director and Chief Executive Officer, Canara Bank to the Board of M/s Can Fin Homes Limited as a director, for a period up to 31.12.2022, *i.e.*, the date of his superannuation, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 13/21/2017-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.